



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

[संसद द्वारा पारित अधिनियम 1996, (1997 का क्रमांक 3) के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय  
[A Central University established by Parliament by Act No. 1996 (3 of 1997)]

प्रो. आनन्द पाटील  
कुलसचिव (कार्यवाहक)  
**Prof. Anand Patil**  
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902


पत्रांक : 006/स्था./का./2020/07/ 1603  
दिनांक : 14.10.2024

## परिपत्र

विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना मिली है कि दिनांक 15.10.2024 को कतिपय अराजक तत्वों द्वारा तथाकथित न्याय-यात्रा निकालने के नाम पर विश्वविद्यालय में अराजकता एवं अशांति का वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित व्यावसायिक आचार संहिता के अंतर्गत इस तथाकथित न्याय-यात्रा को अवैध घोषित किया है। अतः विश्वविद्यालय के किसी भी शिक्षक, कर्मचारी अथवा विद्यार्थी की इस तथाकथित न्याय-यात्रा में संलग्नता पाये जाने पर कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जाता है।

  
(प्रो. आनन्द पाटील)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. समस्त अधिष्ठाता, निदेशक, अध्यक्ष, केंद्र निदेशक एवं प्रभारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
3. कुलानुशासक कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
4. मुख्य छात्रावास अधीक्षक, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
5. सुरक्षा अधिकारी, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
6. लीला प्रभारी, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित पत्रावली।